राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
"वित भवन" जनपथ, जयपुर–302015
(दूरभाष 0141–2740735, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांकः– एफ. 2(ग)एमएसीपी/अलेसे–I/1994/ 1560 दिनांकः– 06.12.2023

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के अन्तर्गत वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांक 06.10.2023 द्वारा Modified Assured Career Progression Scheme (एम.ए.सी.पी) योजना के प्रावधान लागू किये जाने के अनुसरण में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के उन कार्मिकों को जिन्हें 27 वर्ष की नियमित सेवा दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण करने पर इस निदेशालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा आश्वासित कैरियर प्रगति योजना के अन्तर्गत तृतीय ए.सी.पी. पे–लेवल एल–13 में स्वीकृत की जा चुकी है, ऐसे कार्मिकों द्वारा नियम 14 के बिन्दु संख्या 6 के क्रम में कार्यालयाध्यक्ष को एम.ए.सी.पी का विकल्प दिये जाने पर उन्हें दिनांक 01.04.2023 को एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत पे–लेवल एल–14 स्वीकृत किया जाता है।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 के नियम 14 के बिन्दु संख्या 2(iii) के अनुसार दिनांक 01.04.2023 को इन कार्मिकों के वेतन का पुनः निर्धारण पे–लेवल एल–14 में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

यह आदेश केवल एम.ए.सी.पी. का विकल्प देने वाले कार्मिकों पर ही लागू होगा।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ. 2(ग)एमएसीपी/अलेसे–I/1994/ 1560 दिनांकः– 06.12.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त आदेशों के क्रम में संबंधित कामिकों का वेतन पुनः निर्धारण कर सूचना इस कार्यालय को भिजवाये जाने का भी कष्ट करावें।
2. संबंधित कनिष्ठ लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I
3. निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

E:\goyal-j\Order.docx